तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 93/2021 बअनवान कौशलाराम वगै. बनाम पोकराराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांटगण अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलंटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा वेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश वादी/रेस्पोडेट द्वारा चाही गई रिलीफ से बाहर जाकर पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण के पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः– RRT 2020(2) Page 1122 RRD 1981 Page 714 रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल दावे के निस्तारण से पूर्व किसी पक्षकार द्वारा मौके पर परिवर्तन कर निर्माण किया जाता है तो रेस्पोडेंट के हितों पर कुठाराघात होगा। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलाधीन आराजी का कानूनन बंटवारा किया हुआ नहीं है इसलिए कोई भी सह खातेदार विशेष भू–भाग का बिना बंटवाड़े के अपना हक नहीं जता सकता है और न ही कोई सह–खातेदार बिना बंटवाड़ा करवाये निर्माण करवा सकता हैं, क्योंकि प्रत्येक सह खातेदार का संयुक्त खातेदारी भूमि पर प्रत्येक अंश पर बराबर हिस्सा होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 की क्रियान्विती को स्थगित किया जाता है, राज.का.अधि. की धारा 225 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल वाद का अधिकतम दो माह में उभयपक्ष को सुनते हुए	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

निस्तारण करे यदि दो माह में मूल दावे का निस्तारण नहीं किया जाता है तो न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 02.11.2021 स्वतः प्रभाव में आ जायेगा। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर